Remove Watermark Now

4125 (3)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 482146

pdfelement

सि. दु. सियादुलारी

श्री [illegible]

कार्यालय/बैंक का नाम — [illegible] , कानपुर नगर

1— प्रस्तुत दिनांक — [illegible] 2011

2— [illegible] दि० — [illegible] 2011

3— प्रस्तुतकर्ता — श्रीमती सियादुलारी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kor

सि. दु. सियादुलारी

A. Agrawal.

Remove Watermark Now

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 X 482147

pdfelement

4–	लेखपत्र का प्रकार	–	विक्रय पत्र
5–	प्रतिफल	–	1,50,000/–रूपया
6–	सरकारी कीमत	–	3,01,000/–रूपया
7–	विक्रेता	–	श्रीमती सियादुलारी उर्फ रामदुलारी पत्नी स्व0 लक्ष्मी नारायन निवासिनी ग्राम भोपालपुरवा, मौजा ख्यौरा कटरी, परगना व जिला कानपुर नगर।
8–	क्रेता	–	श्रीमती अलका अग्रवाल, वयस्क पत्नी श्री नन्दकिशोर अग्रवाल निवासी भवन सं0 8/85 आर्य नगर, कानपुर नगर।
9–	सम्पत्ति का विवरण :–		
1.	स्थान	–	ग्राम कटरी ख्यौरा परगना व जिला कानपुर नगर
2.	आराजी नम्बर	–	संक्रमणीय भूमिधरी आराजी सं0 1802

सियादुलारी

A. Agrawal.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 3 X 482148

क्षे0 0.360 हेक्टेयर, आराजी सं0 1803

क्षे0 0.420 हेक्टेयर, आराजी सं0 1804

क्षे0 0.180 हेक्टेयर, आराजी सं0 1805

क्षे0 0.330 हेक्टेयर, आराजी संख्या

कुल चार किता कुल क्षेत्रफल 0.290

हेक्टेयर का 1/30 भाग तदनुसार

क्षेत्रफल 0.043 हेक्टेयर सभी स्थित

ग्राम कटरी ख्यौरा परगना, तहसील व

जिला कानपुर नगर जो कि उक्त भूमि

में विक्रेता का सम्पूर्ण अंश है।

3. विक्रीत क्षेत्रफल — 0.043 हेक्टेयर

4. सीमा से सड़क — चारों ओर कृषि भूमि है।

5. प्रयोजन — कृषि

6. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि भूमि

A-Agrawal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4 U 18851

7. सिंचाई का साधन — प्राकृतिक वर्षा व समीप स्थित अन्य का नलकूप

8. आराजी संख्या— 1802, 1803, 1804 व 1805 (सम्पूर्ण) की संयुक्त चतुर्दिक सीमाएं

पूर्व	—	4.57 मीटर रोड
पश्चिम	—	कृषि भूमि आराजी संख्या— 1806
उत्तर	—	कृषि भूमि आराजी संख्या— 1807
दक्षिण	—	कृषि भूमि आराजी संख्या— 1800

10— स्टाम्प अदायगी का विवरण :—

1.	जिलाधिकारी दर	—	70,00,000/— रुपया प्रति हेक्टेयर
2.	भूमि की कीमत	—	3,01,000/— रुपया
3.	जिलाधिकारीनुसार देय स्टाम्प	—	18,060/— रुपया
4.	दिया गया स्टाम्प	—	18,100/—रुपया

किश. सिन्धु तिवारी

A-Agrawal

Remove Watermark Now

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 18851

pdfelement

विशेष : 'वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नही लायी जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकडो में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नही किया जा रहा है। विक्रीत कृषि भूमि सर्किल दर सूची में **अर्द्धनगरीय ग्रामो की श्रेणी** – "क" के ग्रामो के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई कूप, नलकूप, वृक्ष या निर्माण नही है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्तर्राज्यीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नही है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पक्षगण अनुसूचित जाति/जनजाति के नही है। विक्रीत भूमि सीलिंग, गांव सभा या भूदान से पट्टे पर प्राप्त की हुई नही है और सीलिंग से सीमाधिक्य भूमि घोषित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि के 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर की भूमि कृषि भूमि है, कोई आवासीय/औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है।

कि.रु. सिमरुलाल

A. Agrawal

Remove Watermark Now

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 18852C

pdfelement

विक्रीत कृषि भूमि नजूल भूमि नही है। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण अंश विक्रय किया जा रहा है।

श्रीमती सियादुलारी उर्फ रामदुलारी पत्नी स्व0 लक्ष्मी नारायन निवासिनी ग्राम भोपालपुरवा, मौजा ख्योरा कटरी, परगना व जिला कानपुर नगर, जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द **प्रथमपक्ष** से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

.........प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवम्

श्रीमती अलका अग्रवाल, वयस्क पत्नी श्री नन्दकिशोर अग्रवाल निवासी भवन सं0 8/85 आर्य नगर, कानपुर नगर, जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द **द्वितीयपक्ष** से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

.........द्वितीयपक्ष / क्रेता

सि0दु0 सियादुलारी

A. Agrawal

Remove Watermark Now

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार 20 - 5 AUG 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

AU 709397

pdfelement

विदित हो कि प्रथमक्ष ने संक्रमणीय भूमिधरी आराजी सं0 1802 क्षे0 0.360 हेक्टेयर, आराजी सं0 1803 क्षे0 0.420 हेक्टेयर, आराजी सं0 1804 क्षे0 0.180 हेक्टेयर, आराजी सं0 1805 क्षे0 0.330 हेक्टेयर, आराजी संख्या कुल चार किता कुल क्षेत्रफल 0.290 हेक्टेयर का 1/30 भाग तदनुसार क्षेत्रफल 0.043 हेक्टेयर सभी स्थित ग्राम कटरी ख्योरा परगना, तहसील व जिला कानपुर नगर का तनहा स्वामी मालिक काबिज व दखील है और उसे उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के हक मालिकाना हासिल है।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष के कब्जे व स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रथमपक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सह - स्वामी व हिस्सेदार नही है और जो कि आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है, कहीं किसी प्रकार बन्धक, विक्रय, दान, मुस्तगरक, बजनानत व इक्वीटेबिल मार्टगेज आदि नहीं है और उक्त वर्णित कृषि भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग में विचाराधीन नहीं है

कि॰ क॰ त्रिपाठी

A - Agrawal .

Remove Watermark Now

<u>हस्ताक्षर गवाहान</u>

1. ....हस्ताक्षर विकेता / प्रथमपक्ष

नाम : महेश

पुत्र : लक्ष्मीनरायन

निवासी : ओपाजपुरवा दरमोहा [illegible]

नवाबगंज कानपुर

2. ....हस्ताक्षर केता / द्वितीयपक्ष

नाम : विनोद कुमार

पुत्र : श्री किशन

निवासी : 35 C/6 पहलवान पुरवा

आजाद नगर कानपुर

यह विलेख मेरे द्वारा निरूपित एवं
मेरे कार्यालय में टंकित किया गया।

(सत्येन्द्र कुमार त्रिवेदी)

एडवोकेट

pdfelement

Remove Watermark Now

और उक्त वर्णित कृषि भूमि किसी डिक्री या इजराय में कुर्क व बरसरे नीलाम नही है और उक्त वर्णित कृषि भूमि का विक्रय आदि करने से प्रथमपक्ष को आज दिन तक किसी भी न्यायालय सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा रोका या मना नही किया गया है और उक्त वर्णित कृषि भूमि आज दिन तक किसी सरकारी संस्था द्वारा अर्जित या अधिग्रहीत आदि नही की गयी है और उसमें कोई समस्या सेल्स टैक्स या इन्कम टैक्स या बैंक लोन आदि की भी नहीं है तथा प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त है। यदि उपरोक्त लिखित कथन के विपरीत कोई तथ्य पाये जाये या कोई दस्तावेज गलत या असत्य पाया जावे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

यह भी विदित हो कि वर्तमान समय में प्रथमपक्ष को अपनी घरेलू व व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की त्वरित आवश्यकता है और बिना विक्रय किये हुए आराजी कृषि भूमि उपरोक्त प्रथमपक्ष को धन की प्राप्ति का अन्य कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है। इसलिए प्रथमपक्ष ने अपने कब्जे व स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि उपरोक्त को विक्रय करना निश्चय किया और इस बावत प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के विक्रय की शर्तें जनमानस में प्रारम्भ की और उसके हर प्रकार से पाक व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा दिलाया जिस पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को मुबलिग 1,50,000/- रुपया में क्रय करना स्वीकार किया है। द्वितीयपक्ष द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्य उक्त वर्णित कृषि भूमि को देखते हुए बाजारी मूल्य के अनुरूप होने के कारण प्रथमपक्ष को सहर्ष स्वीकार है।

अतः प्रथमपक्ष ने अपने स्वामित्व वाली उक्त वर्णित कृषि भूमि, [illegible] 1982 क्षे० 0.380 हैक्टेयर [illegible]

कि० क० तिवारी (signature)

A. Agrawal (signature)

pdfelement

Remove Watermark Now

0.420 हेक्टेयर, आराजी सं0 1804 क्षे0 0.180 हेक्टेयर, आराजी सं0 1805 क्षे0 0.330 हेक्टेयर, आराजी संख्या कुल चार किता कुल क्षेत्रफल 0.290 हेक्टेयर का 1/30 भाग तदनुसार क्षेत्रफल 0.043 हेक्टेयर सभी स्थित ग्राम कटरी ख्योरा परगना, तहसील व जिला कानपुर नगर (जिनका सम्पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमाएं इस विलेख के प्रारम्भ मे वर्णित है तथा जिसे आगे इस विलेख में शब्द **विकीत कृषि भूमि** कहा गया है।) जिसको इस विलेख के साथ संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, को समस्त स्वामित्वाधिकार व सुखाधिकार सहित मुबलिग **1,50,000/–रूपया** में द्वितीयपक्ष के हक में कतई तौर पर विक्रय कर दिया और द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य इस विलेख के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके उक्त कृषि भूमि का स्वामित्वपूर्ण वास्तविक कब्जा व दखल द्वितीयपक्ष का करा दिया है। आज की तारीख से द्वितीयपक्ष विकीत कृषि भूमि को एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर, काबिज व दखील हो गये है तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह विकीत कृषि भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करे और आवश्यकतानुसार कृषि उपज, बन्धक व विक्रय आदि से लाभान्वित हो। आज से प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्न का विकीत कृषि भूमि के सम्पूर्ण भाग में किसी प्रकार का कोई स्वामित्व या अधिकार या कब्जा नही रहा और न ही भविष्य में होगा।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत कृषि भूमि के हर प्रकार से पाक व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा द्वितीयपक्ष को दिया दिया हैं और इसी विश्वास पर द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि क्रय की हैं। यदि प्रथमपक्ष के स्वामित्व में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि पाये जावे या अन्य किसी कारणवश द्वितीयपक्ष के स्वामित्व, कब्जा, दखल व अधिकार से विकीत कृषि भूमि का सम्पूर्ण

Remove Watermark Now

या आंशिक भाग निकल जाये या उसको आज के पूर्व के किसी ऋण आदि की अदायगी करनी पडे या स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद लडना पडे या इस विक्रयपत्र में वर्णित तथ्यो के विपरीत कोई तथ्य पाये जाये तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि अपना सम्पूर्ण या आंशिक विक्रयमूल्य हर्जा–खर्चा, ब्याज व वह धन जो द्वितीयपक्ष ने उस पर खर्च किया हो, इत्यादि सहित, जैसी भी स्थिति हो, प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा अथवा जैसे चाहे, वसूल कर लेवे। इसमें प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न तो अभी है और न ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा।

यह भी विदित हो कि द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि उपरोक्त पर अंकित प्रथमपक्ष का नाम पृथक कराकर, उसके स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम, इस विक्रयपत्र के आधार पर, तहसील के राजस्व अभिलेखो व अन्य आवश्यक अभिलेखो में बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित करवा लेवे। प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति इस विक्रयपत्र द्वारा मान्य होगी और आवश्यकता पडने पर प्रथमपक्ष प्रथक से सहमति व स्वीकृति शपथपत्र आदि, हस्ताक्षरित कर दे देगा। इस विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है। यह विक्रयपत्र प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों व प्रतिनिधियो व स्थानापन्न पर पूर्ण रूप से मान्य/प्रभावी होगा।

<u>विवरण प्राप्ति विक्रयमूल्य 1,50,000/–रूपया</u>

<u>(शब्देन एक लाख पचास हजार रूपया मात्र)</u>

प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य नकद रूबरू गवाहान प्राप्त कर लिया है। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में कोई धन प्रथनपक्ष को द्वितीयपक्ष से प्राप्त करना शेष नही है।

A. Agrawal.

pdfelement

Remove Watermark Now

अतः पक्षगणों ने अपने – अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, मस्तिष्क तथा इन्द्रियो की सही दशा में अपनी राजी खुशी से, बिना किसी जोर दबाव नाजायज्ज के, सुनकर व समझकर यह विक्रयपत्र समक्ष साक्षीगण निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

विक्रेता का निशानात पंजा कमशः बांया व दायां :–

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

pdfelement

केता का निशानात पंजा कमशः बांया व दायां :–

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

A. Agrawal.

Remove Watermark Now

SITE PLAN OF ARAZI NO. 1802, 1803, 1804, 1805

SITUATED AT MAUJA KATRI KHYORA TEH & DISTT. KANPUR NAGAR

SELLER SMT SIYA DULARI URF RAM DULARI W/O LATE LAXMI NARAYAN

N

W — E

S.

PURCHASER ALKA AGARWAL W/O NAND KISHORE

0.043

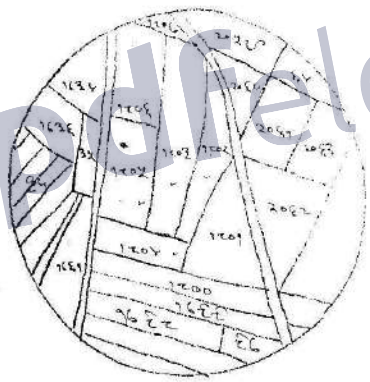

pdfelement

SIG OF SELLER	SIG OF PURCHASER	SIG OF ENGINEER
[illegible]	A. Agrawal	[illegible]